सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2018 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2018/00003

अनवान

1. श्री खेमराज पिता मोड़ीलाल दर्जी, निवासी– झाड़ोल पूजा नगर, तहसील झाड़ोल।

–प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरियें तहसीलदार झाड़ोल

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्रकरण सं. 11/2013 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल आदेश दिनांक 02.12.17

* निर्णय *

दिनांक – 04-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल मुकदमा संख्या 11/2013 निर्णय दिनांक 02.12.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसी प्रकरण संख्या 11/2013 में निर्णय दिनांक 16.08.2013 को अपीलान्ट को मौजा झाडोल की आराजी संख्या 3435 रकबा 1.6000 हेक्टेयर किस्म आबादी में स्थित आम रास्ते में 65 वर्गफीट पर एवं राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि के खसरा नम्बर 3392/626 रकबा 0.840 हेक्टेयर में से 0.0710 हेक्टेयर पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए दिये गये ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए तरमीम से संबंधित बिन्दुओं पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने नक्शे में तरमीम संबंधी गलतियों को छिपाने के लिये पूर्व के आदेश को बहाल रखने का आदेश पारित कर दिया। पूर्व में नक्शे में हेरा फेरी की शिकायत जिला कलक्टर, उदयपुर को करने पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल ने नक्शें में तरमीम सम्बन्धी गलती होना पाया एवं रिपोर्ट पेश की, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलान्ट पर ही गलत आरोप लगाकर मौके से बैदखल करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल ने आराजी नम्बर 3637/626 पर अपीलान्ट का मकान बना होने के बावजूद गलत आधारों पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का आराजी संख्या 3435/626 किस्म आबादी के 65 वर्गफीट पर एवं आराजी संख्या 3392/626 में 0.0710 हेक्टेयर पर अपीलान्ट का

नाजायज कब्जा गलत आधारों पर बताया गया है। अपीलान्ट का एक इंच मात्र भी अतिक्रमण नही है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पालना न कर गलत आधारों पर पुनः पूर्वाधार पर ही निर्णय पारित कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 11/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न किया जाना, तरमीम सम्बन्धी बिन्दुओं पर जांच न करना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अनुचित बताते हुये निरस्त करने की मांग की। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि खसरा नम्बर 3392/626 रकबा 0.840 हेक्टेयर भूमि खाली पडी है, जिस पर अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी होकर अतिक्रमण किया गया है एवं तरमीम का बहाना बनाकर न्यायालय का समय बेकार करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रेकर्ड अनुसार स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार झाडोल द्वारा निर्णय दिनांक 02.12.2017 में पारित निर्णय द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 16.08.2013 को ही यथावत रखा गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि पूर्व में तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या 11/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2013 द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 4/2013 दायर कराई गयी थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.02.2017 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमान्ड किया गया था। तहसीलदार द्वारा पुनः प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2017 द्वारा अपीलान्ट को पूर्ववत अतिक्रमी मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा उक्त अतिक्रमित आराजी राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित होना अवगत कराया गया है एवं राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि पाया जाना प्रथम दृष्टया प्रतित नही होता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारीज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2017 को यथावत रखा जाता है। मामले में तहसीलदार झाडोल को निर्देश दिये जाते है कि वे तत्काल अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना से

इस न्यायालय को अवगत करावे एवं भविष्य में भी राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर